न्यायालय सहायक कलक्टर (आरा.) मु. जयपुर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय रामदेव / बनाम जगदीश

केस संख्या 94/2018 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	28.5.2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण व वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है। उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने हेतु कई अवसर भी दिये जा चुके है। पत्रावली कुर्रेजात बहस हेतु नियत है, वादी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट बाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर) 28/5/24

कामदार ... 28/5/24

(हस्ताक्षर) ... जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –94/2018 व 80/2021

रामदेव पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी टीबावाली ढाणी ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी परीयावाला कुंआ ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बदरीनारायण उर्फ बदरीलाल पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बंशीधर उर्फ बंशीलाल स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा् एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– (1) श्री के.आर. शर्मा अधिवक्ता – वादी की ओर से
(2) श्री मिखिल अग्रवाल अधिवक्ता– प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 28.05.2024

हस्तगत वाद संख्या 94/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम बल्लुपुरा, पटवार क्षेत्र पुनाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 1.23 हैक्टेयर चाही द्वितीय, खसरा नंबर 10 रकबा 1.41 हैक्टेयर चाही द्वितीय जाव द्वितीय, खसरा नंबर 12 रकबा 0.51 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 13 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, कुल किता 5 कुल [illegible] भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में वादी के ना[illegible]/4 दर्ज व अमल है एवं वाके ग्राम रायथल, पटवार क्षे[illegible] जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 369/1421 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 370/1422 रक[illegible] 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 372/1424 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/1432 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 385 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 386 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर [illegible]

386/1433 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387/1434 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 389 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नबर 407 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में वादी के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज व अमल है। वादपत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि वादग्रस्त भूमि है। वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित आराजियात कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सेनुसार काबिज काश्त है एवं मनबंट के आधार पर उपरोक्त वर्णित आराजीयात जरिये इकरारनामा दिनांक 20.02.1998 को अपने पिता के द्वारा किये गये बंटवारे के आधार पर बंटवारा कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने उस समय सभी ने बंटवारे पर अपने पिता एवं गवाहान की उपस्थिति में सहमति दी थी। उसके पश्चात् दिनांक 22.03.2009 को भी एक सहमति पत्र चारों भाईयों ने वादग्रस्त जमीन के संबंध में बंटवारा लिखा था। इस प्रकार वादग्रस्त जमीन का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 3 ने मनबंट आधार पर बंटवारा कर रखा है मनबंट के आधार पर हुये बंटवारे में वादीगण को ग्राम रायथल में स्थित भूमि खसरा नंबर 407 व 408 कर दिया गया एवं ग्राम बल्लूपुरा के खसरा नंबर 13 खसरा नंबर 15 संपूर्ण एवं खसरा नंबर 15 की उत्तरी सीमा पश्चिमी सीमा के बराबर खसरा नंबर 14 दिया गया। उक्त खसरा नंबरान् पर ही वादी कब्जे काश्त है। खसरा नंबर 13 गैर मुमकिन कुंआ व बोरिंग बना हुआ है जिसमें वादी ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा हैं। खसरा नंबर 14 में पुख्ता मकानात् दो हवेली एवं पशुओं के लिए बाडा बना हुआ है एवं चारों और पुख्ता डंडे का निर्माण कर रखा है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 व जगदीश के हिस्से में पाटीयों वाला कुंआ ग्राम बल्लूपुरा के नाम से जानने वाली जमीन खसरा नंबर 4, 5 संपूर्ण व खसरा नंबर 10 में से आंशिक हिस्सा आया एवं प्रतिवादी संख्या 2 बद्रीनारायण के हिस्से में ग्राम बल्लूपुरा में पाटीयों वाला कुंआ के नाम से जानने वाली जमीन में खसरा नंबर 10 एवं 14 का आंशिक हिस्सा एवं खसरा नंबर 12 संपूर्ण आया एवं प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर के हिस्से में ग्राम रायथल में स्थित भूमि में खसरा नंबर 389 व 387 में आंशिक हिस्सा एवं खसरा नंबर 369/1421, 370/1422, 372/1424, 384, 384/1432, 385, 386, 386/1433, 387/1434, 388 संपूर्ण हिस्सा आया इस प्रकार वादग्रस्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता श्री हरिनारायण द्वारा अपने जीव काल में ही बंटवारा कर रखा था एवं मनबंट के आधार पर हुए बंटवारे के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी[illegible] 1 लगायत 3 कब्जे काश्त में रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं [illegible] अपने [illegible] हिस्से की भूमि को डवलप करके मकानात् आदि बना रखे हैं लेकिन [illegible] रिकॉर्ड में भूमि का अभी तक तकासमा नहीं हुआ है एंव अलग अलग खाता [illegible] लगान भी कायम नहीं हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से वाद पत्र का जवाब पेश किया जिसमें बताया गया कि वादी एंव प्रतिवादीगण ने मनबंट के आधार पर जरिये इकरारनामा दिनांक 20.02.1998 को अपने पिता के द्वार किये गये बंटवारे के आधार पर बंटवारा कर रखा हो एवं मिन प्रतिवादीगण ने उस समय बंटवारे पर अपने पिता एवं गवाहान की मौजूदगी में सहमति दी हो, गलत है, ऐसा कोई बंटवारा वादी एवं मिन प्रतिवादीगण के मध्य कभी नहीं हुआ है ना ही ऐसा कोई बंटवारा कानूनन वादी के वाद के निस्तारण के लिए सुसंगत ही है। वादी का इस मद में यह जाहिर करना कि दिनांक 22.03.2009 को एक सहमति पत्र चारों भाईयों ने विवादग्रस्त जमीन के संबंध में बंटवारा लिखा हो, स्वीकार नहीं है, इस तथ्य को भी वादी स्वयं साबित करे। वादी का इस मद में यह जाहिर करना भी सरासर गलत है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता श्री हरिनारायण द्वारा अपने जीवनकाल में ही बंटवारा कर दिया था एवं उक्त बंटवारे के आधार पर पक्षकारान् उपयोग, उपभोग कर रहे हो। यहां यह जाहिर करना आवश्यक है कि मिन प्रतिवादीगण मात्र मनबंट के आधार पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहे है भूमि का कभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है। तथाकथित इकरारनामा अनस्टैम्पड एवं अनरजिस्टर्ड है तथा अनस्टैम्पड एवं अनरजिस्टर्ड होने के कारण तथाकथित इकरारनामा साक्ष्य में भी ग्राहय नहीं है। वादी ने दावे में खिलाफ प्रतिवादीगण इम्प्रूवमेंट नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि प्रतिवादीगण स्वीकृत रूप से भूमि वर्णित मद संख्या 1 व 2 के सह खातेदारान् है ऐसी स्थिति में वादी का वाद बाबत् निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण चलने काबिल नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने काबिल है।

इसके अतिरिक्त वाद संख्या 80/2021 वाके ग्राम बल्लूपुरा, पटवार क्षेत्र पुनान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 0.16 हैक्टेयर बारानी 2 एवं खसरा नंबर 5 रकबा 0.96 हैक्टेयर चाही 2 जाव 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज व अमल है। जिसमे नियमानुसार तलवी के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा जवाब मे मुख्य कथन यह रहा की भूमि का कभी मनबट या विधिवत अच्छी बुरी के लिहाज से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है यद्यपि विधिवत भूमि का अच्छी बुरी के लिहाज से बंटवारा किये जाने में मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान की उपस्थिति व निवेदन के आधार पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर दोनो वाद पत्रो को प्राथमिक डिक्री किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत अन्य वाद संख्या 80/2021 बउनवानी रामदेव बनाम जगदीश की

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

कुर्रेजात रिपोर्ट एकजाई मंगवाने हेतु पेश किया। जिस पर बहस सुनी जाकर दिनांक 20.2.2024 को पत्रावली संख्या 94/2018 बउनवानी रामदेव बनाम जगदीश के साथ प्रकरण संख्या 80/2021 बउनवानी रामदेव बनाम जगदीश को हमफिता किया गया। तहसीलदार को एकजाई कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने हेतु आदेशित किया गया। आदेशिका दिनांक 26.03.2024 को तहसीलदार जालसू जयपुर से एकजाई कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस अथवा आपत्ति पेश करने हेतु समय दिया गया। तीन पेशीयो के उपरान्त भी उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा आदेशिका दिनांक 07.05.2024 को वादी अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित हुये परन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया की कुर्रेजात रिपोर्ट की प्रति निकलवाने हेतु व अवलोकन हेतु समय दिया जावे। न्यायालय द्वारा न्याय हित में एक अन्तिम अवसर उभयपक्ष को बहस अथवा आपत्ति हेतु दिया गया तथा आदेशित किया गया कि आगामी तारीख पेशी पर बहस नहीं करने पर कुर्रेजात पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

कुर्रेजात प्राप्त होने पर कई अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा बहस नही की गई ना ही कोई आपत्ति पेश की। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0ज0हि0 अनुसार खसरा नंबर 4 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10/1 रकबा 0.21 कुल किता 3 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग में दर्शाया गया है।
2. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0जु0हि0 अनुसार खसरा नंबर 14/2 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/3 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।
3. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (अहीर) [illegible] प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खाते[illegible] खसरा नंबर 10/2 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर [illegible] खसरा नंबर 14/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
4. जगदीश रामदेव बद्रीनारायण बंशीलाल पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) खातेदार राहिन बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 10/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/4 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

5. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

6. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0म0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/3 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

7. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 389/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/1432 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

8. बंशीधर पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 386 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 386/1433 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 385 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387/1434 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 389/1 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 407/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/1 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

9. जगदीश बद्रीनारायण बंशीधर रामदेव पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 369/1421 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 370/1422 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 372/1424 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

अतः कुर्रा का[illegible] मुताबिक कुर्राजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **मिथलेश मीणा (आर.ए.एस)**

नियमित वाद संख्या –94/2018 व 80/2021

रामदेव पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी टीवावाली ढाणी ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... **वादीगण**

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी परीयावाला कुंआ ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बदरीनारायण उर्फ बदरीलाल पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बंशीधर उर्फ बंशीलाल स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 28.05.2024

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0ज0हि0 अनुसार खसरा नंबर 4 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10/1 रकबा 0.21 कुल किता 3 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग में दर्शाया गया है।
2. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0जु0हि0 अनुसार खसरा नंबर 14/2 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/3 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.16 हैक्टेयर [illegible] 4 कुल रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले [illegible] गया है।
3. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (अहीर) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0ज0हि0 अनुसार खसरा नंबर 10/2 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

4. जगदीश रामदेव बद्रीनारायण बंशीलाल पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 10/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/4 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.22 भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

5. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

6. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0म0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/3 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

7. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 389/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/1432 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

8. बंशीधर पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 386 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 386/1433 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 385 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387/1434 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 389/1 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 407/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/1 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

9. जगदीश बद्रीनारायण बंशीधर रामदेव पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 369/1421 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 370/1422 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 372/1424 रकबा [illegible] कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी [illegible] गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार [illegible] दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 94 / 2018 व 80 / 2021
बउनवानी – रामदेव बनाम जगदीश वगै0
निर्णय दिनांक :– 28.05.2024

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 28.05.2024 को जारी किया ।

दस्तखत –––

ओहदा –––

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –94/2018 व 80/2021

रामदेव पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी टीवावाली ढाणी ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी परीयावाला कुंआ ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बदरीनारायण उर्फ बदरीलाल पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बंशीधर उर्फ बंशीलाल स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– (1) श्री के.आर. शर्मा अधिवक्ता – वादी की ओर से
(2) श्री मिखिल अग्रवाल अधिवक्ता– प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक 28.05.2024

हस्तगत वाद संख्या 94/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम बल्लुपुरा, पटवार क्षेत्र पुनाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 4 रकबा 1.23 हैक्टेयर चाही द्वितीय, खसरा नंबर 10 रकबा 1.41 हैक्टेयर चाही द्वितीय जाव द्वितीय, खसरा नंबर 12 रकबा 0.51 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, खसरा नंबर 13 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नंबर 14 रकबा 0.40 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, कुल किता 5 कुल रकबा 5.56 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में वादी के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज व अमल है एवं वाके ग्राम रायथल, पटवार क्षेत्र रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 369/1421 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 372/1424 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/1432 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 385 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 386 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

386/1433 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387/1434 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 389 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नबर 407 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में वादी के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज व अमल है। वादपत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि वादग्रस्त भूमि है। वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित आराजियात कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सेनुसार काबिज काश्त है एवं मनबंट के आधार पर उपरोक्त वर्णित आराजीयात जरिये इकरारनामा दिनांक 20.02.1998 को अपने पिता के द्वारा किये गये बंटवारे के आधार पर बंटवारा कर रखा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने उस समय सभी ने बंटवारे पर अपने पिता एवं गवाहान की उपस्थिति में सहमति दी थी। उसके पश्चात् दिनांक 22.03.2009 को भी एक सहमति पत्र चारों भाईयों ने वादग्रस्त जमीन के संबंध में बंटवारा लिखा था। इस प्रकार वादग्रस्त जमीन का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 3 ने मनबंट आधार पर बंटवारा कर रखा है मनबंट के आधार पर हुये बंटवारे में वादीगण को ग्राम रायथल में स्थित भूमि खसरा नंबर 407 व 408 कर दिया गया एवं ग्राम बल्लूपुरा के खसरा नंबर 13 खसरा नंबर 15 संपूर्ण एवं खसरा नंबर 15 की उत्तरी सीमा पश्चिमी सीमा के बराबर खसरा नंबर 14 दिया गया। उक्त खसरा नंबरान् पर ही वादी कब्जे काश्त है। खसरा नंबर 13 गैर मुमकिन कुंआ व बोरिंग बना हुआ है जिसमें वादी ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा हैं। खसरा नंबर 14 में पुख्ता मकानात् दो हवेली एवं पशुओं के लिए बाडा बना हुआ है एवं चारों और पुख्ता डंडे का निर्माण कर रखा है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 व जगदीश के हिस्से में पाटीयों वाला कुंआ ग्राम बल्लूपुरा के नाम से जानने वाली जमीन खसरा नंबर 4, 5 संपूर्ण व खसरा नंबर 10 में से आंशिक हिस्सा आया एवं प्रतिवादी संख्या 2 बद्रीनारायण के हिस्से में ग्राम बल्लूपुरा में पाटीयों वाला कुंआ के नाम से जानने वाली जमीन में खसरा नंबर 10 एवं 14 का आंशिक हिस्सा एवं खसरा नंबर 12 संपूर्ण आया एवं प्रतिवादी संख्या 3 बंशीधर के हिस्से में ग्राम रायथल में स्थित भूमि में खसरा नंबर 389 व 387 में आंशिक हिस्सा एवं खसरा नंबर 369/1421, 370/1422, 372/1424, 384, 384/1432, 385, 386, 386/1433, 387/1434, 388 संपूर्ण हिस्सा आया इस प्रकार वादग्रस्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता श्री हरिनारायण द्वारा अपने जीव काल में ही बंटवारा कर रखा था एवं मनबंट के आधार पर हुए बंटवारे के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 कब्जे काश्त में रहकर उपयोग उपभोग करते [illegible] हिस्से की भूमि को डवलप करके मकानात् आदि बना रखे है। लेकिन [illegible] का अभी तक तकासमा नहीं हुआ है एंव आ[illegible] नहीं हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से वाद पत्र का जवाब पेश किया जिसमें बताया गया कि वादी एंव प्रतिवादीगण ने मनबंट के आधार पर जरिये इकरारनामा दिनांक 20.02.1998 को अपने पिता के द्वार किये गये बंटवारे के आधार पर बंटवारा कर रखा हो एवं मिन प्रतिवादीगण ने उस समय बंटवारे पर अपने पिता एवं गवाहान की मौजूदगी में सहमति दी हो, गलत है, ऐसा कोई बंटवारा वादी एवं मिन प्रतिवादीगण के मध्य कभी नहीं हुआ है ना ही ऐसा कोई बंटवारा कानूनन वादी के वाद के निस्तारण के लिए सुसंगत ही है। वादी का इस मद में यह जाहिर करना कि दिनांक 22.03.2009 को एक सहमति पत्र चारों भाईयों ने विवादग्रस्त जमीन के संबंध में बंटवारा लिखा हो, स्वीकार नहीं है, इस तथ्य को भी वादी स्वयं साबित करे। वादी का इस मद में यह जाहिर करना भी सरासर गलत है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता श्री हरिनारायण द्वारा अपने जीवनकाल में ही बंटवारा कर दिया था एवं उक्त बंटवारे के आधार पर पक्षकारान् उपयोग, उपभोग कर रहे हो। यहां यह जाहिर करना आवश्यक है कि मिन प्रतिवादीगण मात्र मनबंट के आधार पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहे है भूमि का कभी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है। तथाकथित इकरारनामा अनस्टैम्पड एवं अनरजिस्टर्ड है तथा अनस्टैम्पड एवं अनरजिस्टर्ड होने के कारण तथाकथित इकरारनामा साक्ष्य में भी ग्राह्य नहीं है। वादी ने दावे में खिलाफ प्रतिवादीगण इम्प्रूवमेंट नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि प्रतिवादीगण स्वीकृत रूप से भूमि वर्णित मद संख्या 1 व 2 के सह खातेदारान् है ऐसी स्थिति में वादी का वाद बाबत् निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण चलने काबिल नहीं होने के कारण खारिज फरमाये जाने काबिल है।

इसके अतिरिक्त वाद संख्या 80/2021 वाके ग्राम बल्लूपुरा, पटवार क्षेत्र पुनान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 0.16 हैक्टेयर बारानी 2 एवं खसरा नंबर 5 रकबा 0.96 हैक्टेयर चाही 2 जाव 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज व अमल है। जिसमे नियमानुसार तलवी के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा जवाब मे मुख्य कथन यह रहा की भूमि का कभी मनबट या विधिवत अच्छी बुरी के लिहाज से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है यद्यपि विधिवत भूमि का अच्छी बुरी के लिहाज से तकसीम किये जाने में मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्षकारान की उपस्थिति व निवेदन के आधार पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर दोनो वाद पत्रो को प्राथमिक डिक्री किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत आमेर वाद संख्या 80/2021 बउनवानी रामदेव बनाम जगदीश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

कुर्रेजात रिपोर्ट एकजाई मंगवाने हेतु पेश किया। जिस पर बहस सुनी जाकर दिनांक 20.2.2024 को पत्रावली संख्या 94/2018 बउनवानी रामदेव बनाम जगदीश के साथ प्रकरण संख्या 80/2021 बउनवानी रामदेव बनाम जगदीश को हमफिता किया गया। तहसीलदार को एकजाई कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने हेतु आदेशित किया गया। आदेशिका दिनांक 26.03.2024 को तहसीलदार जालसू जयपुर से एकजाई कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस अथवा आपत्ति पेश करने हेतु समय दिया गया। तीन पेशीयो के उपरान्त भी उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा आदेशिका दिनांक 07.05.2024 को वादी अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित हुये परन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया की कुर्रेजात रिपोर्ट की प्रति निकलवाने हेतु व अवलोकन हेतु समय दिया जावे। न्यायालय द्वारा न्याय हित में एक अन्तिम अवसर उभयपक्ष को बहस अथवा आपत्ति हेतु दिया गया तथा आदेशित किया गया कि आगामी तारीख पेशी पर बहस नहीं करने पर कुर्रेजात पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

कुर्रेजात प्राप्त होने पर कई अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा बहस नही की गई ना ही कोई आपत्ति पेश की। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0ज0हि0 अनुसार खसरा नंबर 4 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10/1 रकबा 0.21 कुल किता 3 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग में दर्शाया गया है।
2. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0जु0हि0 अनुसार खसरा नंबर 14/2 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/3 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।
3. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0ज0हि0 अनुसार खसरा नंबर 10/2 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
4. जगदीश रामदेव बद्रीनारायण बंशीलाल पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 10/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/4 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

5. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

6. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0म0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/3 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

7. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 389/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/1432 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

8. बंशीधर पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 386 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 386/1433 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 385 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387/1434 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 389/1 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 407/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/1 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

9. जगदीश बद्रीनारायण बंशीधर रामदेव पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 369/1421 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 370/1422 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 372/1424 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बग[illegible] रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

अ[illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार [illegible] दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **मिथलेश मीणा** (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –94 / 2018 व 80 / 2021

रामदेव पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी टीवावाली ढाणी ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... **वादीगण**

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी परीयावाला कुंआ ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बदरीनारायण उर्फ बदरीलाल पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बंशीधर उर्फ बंशीलाल स्व0 श्री हरिनारायण जाति यादव निवासी ढाणी बीड की ग्राम बल्लुपुरा पोस्ट रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जयपुर।

..........**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 28.05.2024

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0ज0हि0 अनुसार खसरा नंबर 4 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10 / 1 रकबा 0.21 कुल किता 3 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग में दर्शाया गया है।
2. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन मु0जु0हि0 अनुसार खसरा नंबर 14 / 2 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14 / 3 रकबा 1.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 13 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 15 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.22 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में [illegible] से दर्शाया गया है।
3. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) [illegible] पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार [illegible] अनुसार खसरा नंबर 10 / 2 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 / 1 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 14 / 1 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

आमेर मु. जयपुर

4. जगदीश रामदेव बद्रीनारायण बंशीलाल पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) बल्लूपुरा प0 म0 पुनाना तहसील आमेर सा0 रायथल खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 10/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 14/4 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.22 भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

5. जगदीश पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

6. रामदेव पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0म0ज0 अनुसार खसरा नंबर 407/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/3 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।

7. बद्रीनारायण पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 389/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384/1432 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

8. बंशीधर पुत्र हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 386 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नंबर 386/1433 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 385 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387/1434 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नंबर 389/1 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 407/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 408/1 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

9. जगदीश बद्रीनारायण बंशीधर रामदेव पि0 हरिनारायण जाति अहीर (यादव) ग्राम रायथल प0म0 रायथल सा0 देह खातेदार राहिन हि0मु0ज0 अनुसार खसरा नंबर 369/1421 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 370/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 372/1424 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 28.05.2024 को जारी किया ।

दस्तखत –––

ओहदा –––

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:11 IST
Reason: SelfAttested